संख्या–309 / एक–11–2021–198 / 2020

प्रेषक,

रेणुका कुमार

अपर मुख्य सचिव,

उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,

उत्तर प्रदेश।

राजस्व अनुभाग–11 लखनऊ : दिनांक : 15 अप्रैल, 2021

विषयः कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत प्रवासी मजदूरों / श्रमिकों / कामगारों व अन्य व्यक्तियों के प्रदेश में आगमन पर जनपदों में नये अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस स्थापित करना।

महोदय,

उपर्यक्त विषय पर मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोविड–19 महामारी की द्वितीय लहर के दृष्टिगत काफी संख्या में मजदूर / श्रमिक / कामगार व अन्य व्यक्ति देश के विभिन्न राज्यों / प्रदेश के विभिन्न जनपदों से अपने मूल निवास स्थान के लिए वापस आ रहे है।

2– **अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस की स्थापना–**

कोविड–19 वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए मजदूरों / श्रमिकों / कामगारों व अन्य व्यक्तियों को जनपद मुख्यालय पर किसी उपयुक्त भवन जैसे स्कूल, कालेज, होटल, हास्टल, धर्मशाला इत्यादि को चिन्हित कर उसे अस्थायी आश्रय स्थल / कोरंटाइन / स्क्रीनिंग कैम्प में परिवर्तित कर इन व्यक्तियों को उनमें रखा जाय। प्रत्येक अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस में निम्नलिखित व्यवस्थायें पर्याप्त मात्रा में अनिवार्य रूप से सुनिश्चित की जायें। 1. पर्याप्त कमरें 2. साफ शौचालय 3. स्नानागार 4. विद्युत आपूर्ति 5. प्रकाश व्यवस्था 6. चिकित्सा सुविधा 7. स्वच्छ पेयजल 8. सम्बोधन हेतु लाउडस्पीकर / लाउड हेलर 9. अस्थायी किचेन 10. साफ–सफाई 11. सुरक्षा व्यवस्था। वर्तमान में सभी सरकारी और गैर सरकारी शिक्षण संस्थान बन्द चल रहे हैं। सामान्यतया मैरिज हाल, मोटल्स, लॉज, धर्मशाला, प्राइवेट व सरकारी शिक्षण संस्थान मे उपरोक्त व्यवस्थायें उपलब्ध रहती हैं। अतः नये अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारंन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस खोलने हेतु ऐसे संस्थानों / भवनों को प्राथमिकता पर अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस की स्थापना हेतु आपदा प्रबन्धन अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहीत किया जाय। यदि पूर्व में संचालित बड़ा अस्थायी आश्रय स्थल / क्वारन्टाईन / स्क्रीनिंग कैंम्पस वर्तमान में निष्क्रिय है तो उसे भी सैनिटाइज कर पुनः उपयोग में लाया जाये। भवन चिन्हित करते समय

यह ध्यान रखा जाय कि वहां पर्याप्त बड़े–बड़े कमरे हों। पर्याप्त मात्रा में शौचालय एवं स्नानागार उपलब्ध हों। चिन्हित आश्रय स्थल में कितने व्यक्ति ठहराये जा सकते हैं, उसका आंकलन कर लिया जाय। जनपद मुख्यालय पर एक अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्प की स्थापना की जाय। एक से अधिक स्थानों पर आवश्यकता होने पर राजस्व विभाग से अनुमति प्राप्तकर अतिरिक्त अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस स्थापित किये जा सकते है। अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस की चेकलिस्ट संलग्नक–1 में है।

3– चिकित्सा विभाग द्वारा जारी प्रोटोकाल–

कोरंटाइन सेन्टर में प्रवासियों के रखने के सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग 5 के शासनादेश संख्या– 704/पांच–5–2021, दिनांक 14.04.2021 में दिये गये प्रोटोकाल का पालन किया जायगा। प्रवासियों के आगमन के पश्चात जिला प्रशासन द्वारा उनकी स्क्रीनिंग करायी जाएगी। स्क्रीनिंग पर किसी भी प्रकार के लक्षण पाये जाने पर इन्हें क्वारन्टाइन में रखा जायगा तथा जांच करवाने के पश्चात यदि वह संक्रमित पाया जाता है तो उसे यथावश्यक कोविड अस्पताल या घर पर आइसोलेट किया जाय। जो लक्षण वाले व्यक्ति संक्रमित नहीं पाये जाते है, उन्हें 14 दिनों के लिए होम क्वारन्टाइन में भेज दिया जायगा। लक्षणविहीन व्यक्ति 07 दिवस तक होम क्वारन्टाईन में रहेंगे।

4–बजट व्यवस्था–

जनपदों को इन आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस के संचालन हेतु धनराशि की कार्यवाही पृथक से की जा रही है। जिलाधिकारी यदि चाहें तो आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में भोजन आदि की व्यवस्था के लिए स्थानीय स्तर पर स्वयं सेवी संगठनों/संस्थाओं का सहयोग भी ले सकते है।

5– आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में आने वाले प्रत्येक प्रवासियों की सूचनायें वेबसाइट पर फीड करना–

आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में आने वाले प्रत्येक प्रवासियों का विवरण राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://www.rahat.up.nic.in पर जनपद के लॉगइन आईडी व पासवर्ड से आगमन की तिथि को ही फीड किया जाना अनिवार्य है। जिन प्रवासियों का विवरण राहत आयुक्त की वेबसाइट पर निर्धारित प्रारुप पर फीड नहीं होगा ,उनके सापेक्ष राहत मद से व्यय अनुमन्य नहीं होगा। प्रवासियों से सम्बन्धित सूचनायें राहत आयुक्त कार्यालय की उक्त वेबसाइट पर प्रारूप 1 (संलग्नक 2) के अनुसार फीड की जायगीं।

6– स्किल मैपिंग–

वर्ष 2020–21 में कोविड 19 के दौरान राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट पर स्किल मैपिंग हेतु विभिन्न श्रेणी के कार्यों का वर्गीकरण करते हुए ड्रापडाउन में विकल्प उपलब्ध कराया गया था, जिसमें से फीडिंग करते समय कतिपय श्रमिकों/कामगारों को अनस्किल्ड की श्रेणी में रखा गया था, जबकि शासन स्तर से सत्यापनोपरान्त यह पाया गया था कि सम्बन्धित व्यक्ति किसी न किसी स्किल श्रेणी के अन्तर्गत था। प्रवासी श्रमिकों/कामगारों की स्किल का विवरण सही ढंग से चयन न करने के कारण उनकी स्किल मैपिंग में दिक्कतें आयी थीं। समस्त जनपदों को क्वारन्टाईन सेन्टर में आने वाले व्यक्तियों की सही स्किल की जानकारी करके वेबसाइट के संगत कॉलम में फीड करना अनिवार्य है। राहत आयुक्त कार्यालय की उक्त वेबसाइट पर प्रवासी श्रमिकों/कामगारों की स्किल श्रेणी का चयन ड्राप डाउन स्किल विकल्प में उपलब्ध 94 श्रेणियों में से किया गया है। (स्किल वर्गीकरण की सूची संलग्नक–3)

7– पका भोजन पैकेट उपलब्ध कराना–

क्वारंटाइन सेन्टर में रहने वाले व्यक्तियों को पका भोजन पैकेट उपलब्ध कराया जायेगा। क्वारेंटाइन सेन्टर में रहने वाले व्यक्तियों को पका भोजन पैकेट राजस्व अनुभाग 10 के शासनादेश संख्या– 190/एक–10–2020–33 (221)/2011 टीसी–2 दिनांक 20.04.2020 में दी गयी दर एवं मात्रा के अनुसार व्यय अनुमन्य होगा। उक्त शासनादेश में वर्णित समयानुसार क्वारंटाइन सेन्टर में आवासित व्यक्तियों को एक दिन में 2 बार शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराया जाय। प्रातः 11 बजे पूर्वाहन तक "एक सम्पूर्ण भोजन" जिसमें एक सब्जी, एक दाल, रोटी अथवा पूड़ी व चावल आदि इतनी मात्रा में हो कि एक व्यक्ति का एक बार का "पूर्ण आहार" हो सके। इसी प्रकार सायं 06.00 बजे से रात्रि 09:00 बजे के मध्य "एक सम्पूर्ण भोजन" दिया जाय। उक्त एक भोजन की अधिकतम कीमत रु0 40/– निर्धारित की जाती है। स्थानीय स्तर पर उपलब्ध भोजन सामग्री की बाजार दरों एवं मेन्यू परिवर्तन के कारण प्रतिदिन के एक भोजन की कीमत पृथक–पृथक होगी और यह कीमत रु0– 40/– से कम भी हो सकती है, किन्तु इससे अधिक अनुमन्य नहीं होगी। यहां यह ध्यातव्य है कि भोजन का उक्त "मेन्यू" एक उदाहरण मात्र है, यह सुनिश्चित किया जाय कि लगातार एक ही मेन्यू नहीं दिया जाय बल्कि स्थानीय सुविधानुसार भोजन के मेन्यू में निरंतर औचित्यपूर्ण परिवर्तन किया जाय।

8– किचेन की व्यवस्था–

अन्य प्रदेश से काफी संख्या में व्यक्तियों के आने के कारण इन आश्रय स्थलों पर व्यक्तियों की संख्या अधिक होगी, अतः इनके खाने के लिए उसी अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में सुरक्षित स्थान पर अस्थायी किचेन बनाकर उत्तम गुणवत्ता का भरपेट शाकाहारी भोजन उपलब्ध कराना सुनिश्चित कराया जाय। खाना बनाने व परोसने वाले व्यक्तियों का नियमित अन्तराल पर चिकित्सीय परीक्षण कराया जाय। खाना

बनाने व परोसने में लगे कार्मिकों द्वारा ग्लब्स एवं कैप का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाय तथा सिर पर कैप या कपड़ा लपेटा जाय, ताकि भोजन में बाल इत्यादि टूटकर न गिर सकें। किचन में स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा जाय। दिन में 02 बार किचेन की सफाई/सैनिटाइजेशन किया जाय। किचेन से भोजन वितरण के समय प्रत्येक दशा में सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय। खाने वाले व्यक्तियों की संख्या का सही–सही अनुमान करके भोजन बनाया जाय, किसी भी दशा में भोजन का न तो अपव्यय हो और न ही कोई व्यक्ति बिना भोजन के रहे। जनपद में यदि स्वयंसेवी/गैर सरकारी संस्थाओं द्वारा कम्यूनिटी किचेन संचालित किये जा रहे हैं उनकी भी नियमित रूप से स्क्रीनिंग, साफ–सफाई, सैनेटाइजेशन व किचेन में लगे कार्मिकों का स्वास्थ्य परीक्षण कराया जाय।

9– जलापूर्ति व्यवस्था–

अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में ठहरने वाले व्यक्तियों के लिए पर्याप्त मात्रा में स्वच्छ पेयजल, स्नान, शौचालय आदि के लिए पानी की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

10– विद्युत आपूर्ति व्यवस्था–

अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में पेयजल, प्रकाश व्यवस्था, गर्मी के दृष्टिगत पंखे चलाने हेतु पर्याप्त विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करायी जाय।

11– परिसर व शौचालय की साफ–सफाई/हाउस कीपिंग/सैनिटाइजेशन व्यवस्था–

अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस के कमरों, बरामदों व पूरे परिसर में नियमित साफ–सफाई एवं सैनिटाइजेशन कराया जाय। सामान्यतया अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में कॉमन टॉयलेट्स का प्रयोग होता है, शौचालय की पर्याप्त व नियमित साफ–सफाई व सैनिटाइजेशन न होने से संक्रमण की संभावना अधिक बनी रहती है। अतः शौचालय का प्रतिदिन 03 बार सफाई एवं सैनिटाइजेशन सुनिश्चित कराया जाय। हाथों की सफाई हेतु एक साबुन का टुकड़ा सभी लोगों के प्रयोग करने से भी संक्रमण की संभावना रहती है, अतः साबुन के टुकड़े के स्थान पर पर्याप्त मात्रा में लिक्विड सोप की व्यवस्था सुनिश्चित करायी जाय।

12– सोशल डिस्टेंसिंग एवं मास्क का उपयोग–

अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में लेटने, सोने, खाना खाने, परिसर के अन्दर टहलने आदि सभी कार्यो के समय 02 गज की दूरी की सोशल डिस्टेंसिंग का शत प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराया जाय तथा सभी आगन्तुको एवं प्रवासी के द्वारा मास्क का प्रयोग अनिवार्य रूप से किया जाय। सभी अस्थायी आश्रय स्थलों/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस में सेनिटाइजर्स पर्याप्त मात्रा में प्रवासियों के उपयोगार्थ उपलब्ध रहे।

13– सुरक्षा व्यवस्था–

अस्थायी आश्रय स्थल/क्वारन्टाईन/स्क्रीनिंग कैंम्पस की पूर्ण सुरक्षा सम्बन्धी व्यवस्था करायी जाय तथा लाउडस्पीकर के माध्यम से लोगों को यह समझाया जाय कि चिकित्सा विभाग द्वारा निर्धारित कोरेंटाइन अवधि पूर्ण किये बिना वे बाहर निकलते है तो वे अपने, अपने परिवारजनों एवं मित्रों को खतरे में डाल रहे हैं।

14– जनपद स्तर पर एकीकृत कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर का संचालन–

जनपद मुख्यालय पर एकीकृत कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर का संचालन 24X7 पैटर्न पर किया जाय। **जनपदों से प्राप्त फीडबैक से यह ज्ञात हो रहा है कि एकीकृत कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर से मात्र स्वास्थ्य विभाग से संबंधित/कोविड रिसपोन्सिव कार्य ही संपादित किया जा रहा है एवं राहत सूचना हेतु अलग से कोविड सेन्टर स्थापित किया गया है। यह पूर्णतया अनुचित है यह स्पष्ट निर्देश दिया जाता है कि एकीकृत कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर में मेडिकल एवं राहत सम्बन्धी समस्त सूचनाएं एकत्र किया जाना है। जिन जनपदों में दोनों कण्ट्रोल सेन्टर अलग–अलग स्थापित किया गया है, उसे तत्काल मर्ज करते हुए एक ही एकीकृत कन्ट्रोल कमाण्ड सेन्टर जनपद में स्थापित किये जाय जिससे सूचना सुगमता से एकत्र हो सके।** प्रत्येक पाली के लिए एक वरिष्ठ जिला स्तरीय अधिकारी को शिफ्ट इंचार्ज बनाया जाय और कन्ट्रोल रूम में समस्त आवश्यक व महत्वपूर्ण विभागों (जैसे पंचायती राज, स्वास्थ्य विभाग, राजस्व विभाग, नगर विकास, मण्डी परिषद, औषधि प्रशासन विभाग(ड्रग इंस्पेक्टर) तथा खाद्य एवं रसद विभाग के नोडल अधिकारी) संबंधित विभागों के कर्मचारी/अधिकारी उपस्थित रहें तथा उनके मो0नं0 भी उपलब्ध रहें, ताकि आवश्यकता पड़ने पर कन्ट्रोल रूम के कर्मचारी उनसे सम्पर्क कर आवश्यक सेवायें उपलब्ध करा सकें। जनपद में उपलब्ध करायी जा रही सुविधाओं की अद्यतन स्थिति क्या है, इसके ऑकड़े अनिवार्य रूप से कन्ट्रोल रूम में उपलब्ध रहें तथा ड्यूटी पर उपलब्ध प्रत्येक अधिकारी/कर्मचारी इनसे भिज्ञ रहे। कन्ट्रोल रूम शिफ्ट इन्चार्ज का यह व्यक्तिगत दायित्व होगा कि यदि शासन स्तर से किसी प्रारूप पर कोई सूचना फीड करने/भेजने हेतु अवगत कराया जाता है तो वह सम्बन्धित अधिकारी से सम्पर्क कर समय से सूचना को प्रेषित/फीड करवाना सुनिश्चित करायेगा।

प्रत्येक कन्ट्रोल रूम में टेलीमेडिसिन से जुड़े हुए चिकित्सकों का नाम भी अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहे। मेडिकल हेल्प लाइन 18001805145 भी दर्शित की जाय।

15–नोडल अधिकारी नामित करना–

उपरोक्त तीनों व्यवस्थाओं अस्थायी आश्रय स्थल/कोरंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प, कम्युनिटी किचेन व कन्ट्रोल रूम के लिए जनपद स्तर पर पृथक–पृथक किसी जिला स्तरीय वरिष्ठ अधिकारी (यथा अपर जिलाधिकारी, जिला विकास अधिकारी, बेसिक शिक्षा अधिकारी,

जिला कृषि अधिकारी, समाज कल्याण अधिकारी आदि) को नोडल अधिकारी नामित कर उसका नाम, पदनाम, मोबाइल नम्बर सहित सूचना राहत आयुक्त कार्यालय को उपलब्ध करायी जाय। किसी एक ही अधिकारी को उपरोक्त एक से अधिक कार्यों के लिए नोडल अधिकारी न बनाया जाय। प्रत्येक नोडल अधिकारी के निर्देशन में प्रति विकासखण्डवार एक मध्यवर्गीय अधिकारी (खण्ड विकास अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी, खण्ड शिक्षा अधिकारी, अवर अभियन्ता आदि) को उस क्षेत्र का सहायक नोडल बनाया जाय तथा प्रत्येक अस्थायी आश्रय स्थल/कोरंटाइन कैम्प व प्रत्येक कम्युनिटी किचेन के पर्यवेक्षण हेतु किसी भी विभाग के कनिष्ठ अधिकारी, जिसके पास स्मार्टफोन हो, को उस अस्थायी आश्रय स्थल/कोरंटाइन कैम्प अथवा कम्यूनिटी किचेन का प्रभारी बनाया जाय जो निरन्तर उसका अनुश्रवण करे, आने वाली कठिनाईयों का निराकरण करे और वह निरन्तर जनपद कन्ट्रोल रूम तथा राहत आयुक्त के कन्ट्रोल रूम के सम्पर्क में रहे।

<u>16– सामुदायिक सर्विलांस एवं निगरानी समितियों को सक्रिय करना–</u>

सामुदायिक सर्विलांस एवं सहयोग के लिए जिला प्रशासन द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि ग्रामीण क्षेत्रों में ग्राम निगरानी समितियां एवं शहरी क्षेत्रों में मोहल्ला निगरानी समितियां सक्रिय रूप से कार्य कर रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में समितियों का नेवृत्व ग्राम प्रधान द्वारा किया जायेगा तथा इस समिति में आशा/आंगनबाड़ी/चौकीदार/युवक मंगल दल के प्रतिनिधि तथा अन्य सदस्य होंगें इसी प्रकार से शहरी क्षेत्र में सम्बन्धित सभासद के नेतृत्व में मोहल्ला निगरानी समितियों का गठन कर सक्रिय किया जायेगा। मोहल्ला निगरानी समिति में आशा/सिविल डिफेंस/आर0डब्ल्यू0ए0 प्रतिनिधि/नगर निकाय के क्षेत्रीय कार्मिक तथा अन्य सदस्य होगें। नगर विकास विभाग के द्वारा प्रवासियों का सर्विलांस एवं सहयोग किया जायेगा। समिति की संरचना जिलाधिकारी के द्वारा तय की जायेगी। जिला प्रशासन के द्वारा प्रवासियों की सूची को ग्राम सभावार/वार्डवार स्वास्थ्य विभाग/पंचायती राज/नगर विकास विभाग को इस निर्देश के साथ दी जायेगी कि सूची को ग्राम निगरानी समिति/मोहल्ला निगरानी समिति से साझा किया जाय। इस सम्बन्ध में चिकित्सा अनुभाग–5 के शासनादेश संख्या 1031/पांच–5–2020 दिनांक 1 मई 2020 में दिये गये विस्तृत प्रोटोकाल का अनुपालन किया जाय।

<u>17– प्रवासियो की रवानगी व डाटा फीडिंग–</u>

यदि क्वारंटाइन किया गया व्यक्ति दूसरे जनपद का निवासी है तो जिलाधिकारी द्वारा सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी से सम्पर्क स्थापित कर ऐसे व्यक्तियों का पूरा विवरण उपलब्ध कराते हुए उनकी सुरक्षित रवानगी सुनिश्चित करायी जाय। **<u>जिस जनपद में आश्रय स्थल/क्वारेंनटाइन/स्क्रीनिंग कैम्प स्थापित होगा उसी जनपद के द्वारा उक्त आश्रय स्थल/कैम्प में आये हुये प्रवासियों की सूचनायें राहत आयुक्त की वेबसाइट http://www.rahat.up.nic.in पर प्रवासियो के आगमन के साथ ही उनका</u>**

नाम, पिता/पति का नाम, पता, मोबाइल नंबर आदि सूचनाएं अनिवार्य रूप से फीड की जाय। जिन व्यक्तियों/प्रवासियों की सूचनायें राहत आयुक्त की उक्त वेबसाइट पर फीड होंगी, केवल उन्हीं के सापेक्ष राहत मद से व्यय अनुमन्य होगा। राहत आयुक्त की वेबसाइट पर फीड किये गये डाटा से व्यक्तियों की सूची का प्रिंटआउट निकाल कर सम्बन्धित जनपद के जिलाधिकारी एवं मुख्य चिकित्साधिकारी को उपलब्ध कराया जाय। जिलाधिकारी तथा मुख्य चिकित्साधिकारी सर्विलांस टीम के माध्यम से उन व्यक्तियों के निवास स्थान/घर पहुंचने के बाद भी चिकित्सा विभाग द्वारा निर्गत प्रोटोकाल के अनुसार होम क्वारंटाइन में उनकी कड़ी निगरानी रखी जाय।

कृपया उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीया,

18/4/21

(रेणुका कुमार)

अपर मुख्य सचिव।

संलग्नक– यथोक्त

संख्या–309(1)/एक–11–2021,तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1.राष्ट्रीय आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, भारत सरकार, नई दिल्ली।

2.महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम,उ0प्र0 प्रयागराज।

3.अपर मुख्य सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उ0प्र0 शासन।

4. स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0शासन।

5.समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, उ0प्र0शासन।

6.राहत आयुक्त, उ0प्र0।

7.समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

8.अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,उ0प्र0राज्य आपदा प्रबन्ध प्राधिकरण, लखनऊ।

9.वित्त (व्यय नियंत्रण)अनुभाग–5, उ0प्र0शासन।

10.राजस्व अनुभाग–10/गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

18/4/21

(राम केवल)

विशेष सचिव।

शासनादेश संख्या–309/एक–11–2020–रा0–11, दिनांक–15.04.2021 का संलग्नक–1

चेकलिस्ट फॉर अस्थायी आश्रय स्थल/कोरेंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प–

1. जनपद का नाम– ....2. तहसील का नाम ....
3. भवन का नाम...4. स्थान का नाम.......................................
5. विकास खण्ड का नाम...6 कितने व्यक्तियो की ठहरने की व्यवस्था है ....7. निरीक्षण का दिनांक ....

निरीक्षण में इस आश्रय स्थल/कोरेंटाइन कैम्प/स्क्रीनिंग कैम्प में आवश्यक व्यवस्थाओं की स्थिति निम्नवत् पायी गयी है–

क0सं0	आवश्यक व्यवस्था	क्या व्यवस्था पर्याप्त व सं संतोषजनक है (हां/नहीं)	अभ्युक्ति
1	कमरों की संख्या		
2	शौचालय		
3	स्नानागार		
4	स्वच्छ पेयजल		
5	विद्युत आपूर्ति		
6	प्रकाश व्यवस्था		
7	पंखा		
ठ	अस्थायी किचेन		
9	पर्याप्त भोजन		
10	भोजन की गुणवत्ता		
11	चिकित्सा सुविधा		
12	साफ–सफाई/ हाऊसकीपिंग		
13	लाउडस्पीकर		
14	सुरक्षा व्यवस्था		
15	सोशल डिस्टेंसिंग का पालन		

नोट– सुझाव यदि कोई हो

हस्ताक्षर

दिनांक–

निरीक्षण करने वाले अधिकारी का नाम व पदनाम

शासनादेश संख्या–309 / एक–11–2020–रा0–11,
दिनांक–15.04.2021 का संलग्नक–2

राहत आयुक्त कार्यालय की वेबसाइट http://www.rahat.up.nic.in पर प्रवासियों का विवरण फीड करने का प्रारूप–

1. आधार कार्ड संख्या (परिवार के मुखिया का)– (यदि आधार कार्ड उपलब्ध नहीं है तो पहचान पत्र के अन्य प्रमाण पत्र भी मान्य होगें।)
2. व्यक्ति का का नाम (आधार कार्ड के अनुसार) –
3. लिंग (चयन करें) –
4. किस प्रदेश के आये हैं (चयन करें)–
5. कोरेंटाइन सेन्टर (चयन करें)–
6. कोरेंटाइन सेन्टर में आने की तिथि–
7. पिता / पति का नाम –
8. मोबाइल नम्बर –
9. मोबाइल नम्बर किसका है (चयन करें)–
10. शैक्षणिक योग्यता (चयन करें)–
11. कौशल का नाम (चयन करें)–
12. आयु–
13. पता–
14. जनपद (चयन करें) –
15. तहसील (चयन करें)–
16. ग्राम / शहर (चयन करें)–
17. पिनकोड –
18. साथ में आने वाले व्यक्तियों की संख्या–
19. सदस्यों का विवरण भरें–
    1. नाम–
    2. आयु–
    3. लिंग–
    4. मोबाइल नम्बर–
    5. मोबाइल नम्बर किसका है–
    6. मुखिया से सम्बन्ध–
    7. पहचान पत्र का प्रकार–
    8. पहचान पत्र क्रमांक–
20. लाभार्थी के बैंक खाते का विवरण –
    1. जनपद (चयन करें) –
    2. बैंक का नाम (चयन करें)–
    3. बैंक शाखा (चयन करें)–

4. आई0एफ0एस0 कोड –
5. खाता संख्या –
6. अभ्युक्ति–

नोटः–

1. सबसे पहले परिवार के मुखिया के आधार कार्ड की संख्या फीड करनी होगी जिसके आधार पर लाभार्थी का नाम व अन्य विवरण यू0आई0डी0ए0आई0 से सत्यापित किया जाएगा। तदोपरान्त आगे के समस्त कालम में वांछित विवरण भरा जायगा।
2. परिवार के मुखिया का मोबाइल नम्बर प्रत्येक दशा में सही भरा जाय। उक्त मोबाइल नम्बर पर राज्य कंट्रोल रूम से सत्यापन भी किया जायगा।
3. परिवार के मुखिया का मोबाइल नम्बर प्रत्येक दशा में सही भरा जाय। उक्त मोबाइल नम्बर पर राज्य कंट्रोल रूम से सत्यापन भी किया जायगा।
4. जिन प्रवासियों के पास मोबाइल नम्बर उपलब्ध नहीं है उनके किसी सगे सम्बन्धी का मोबाइल नंबर भरा जायगा।
5. परिवार के अन्य सदस्यों की पहचान के लिए ड्रापडाउन में से आई0डी0 का चयन करना होगा।
6. परिवार के सभी सदस्य आवश्यकतानुसार जोड़े जा सकते हैं।
7. प्रवासी के राज्य के अंदर ही एक जनपद से दूसरे जनपद में जाने की स्थिति में जनपद का चयन ड्रापडाउन से होगा।
8. दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासियों के संबंध में राज्य का चयन ड्रापडाउन से होगा।
9. क्वारन्टाइन कैम्प से वापिस जाने के कारण का चयन ड्रापडाउन में अंकित कारणों को चयन करना होगा।
10. जिन प्रवासियों का विवरण उक्त वेबसाइट पर फीड किया जायेगा केवल उन्हीं के सापेक्ष राहत मद से व्यय अनुमन्य होगा।

Daw

शासनादेश संख्या–309 / एक–11–2020–रा0–11, दिनांक–15.04.2021 का संलग्नक–3

S.No	Skill Name (Hindi)	Skill Name (English)
1	आईटी सेक्टर	IT Sector
2	आग बुझाने वाले उपकरण को लगाने एवं उसकी मरम्मत का कार्य।	Fixing and repairing of Fire Extinguishers System
3	आभूषण से सम्बन्धित कार्य	Gem & Jewellery
4	आयकर सलाहकार	Income Tax Adviser
5	आया / चाइल्ड केयरटेकर	Aaya/Child Caretaker
6	आर0ओ0 टेक्नीशियन	RO Technician
7	आहार विशेषज्ञ और पोषण विशेषज्ञ	Dietician & Nutritionist
8	इन्वर्टर रिपेयर	Inverter Repair
9	इलेक्ट्रानिक्स	Electronics
10	इलेक्ट्रीशियन / बिजली का कार्य।	Electricians/Electric works
11	ईंट निर्माण / ईंट भट्टों से सम्बन्धित कार्य	Brick manufacturing works at Brick kilns.
12	ई–कॉमर्स	E-Commerce
13	ए.सी. / फ्रिज / कूलर / हीटर / गीजर / वाशिंग मशीन लगाने और मरम्मत का कार्य।	Fixing and repairing of cooling and Heating Machinery (Ac/Fridge/Cooler/Geysar/ Washing matchine technician)
14	ऑटोमोबाइल मैकेनिक	Automobile Mechanic
15	कम्प्यूटर / लैपटाप / मोबाइल मैकेनिक और नेटवर्किंग	Computer/Laptop/Mobile Repair and Networking
16	कार / मोटरसाइकिल / रिक्शा बनाने का कार्य	Car/Motorcycle/Cycle/ Rikshaw Repair
17	कारखाने में काम करने वाला मजदूर	Factory Worker
18	किचन से सम्बन्धित कार्य।	Fixing Modular units used in Kitchens (Furtinure and Fitting)
19	कुआं खुदाई	Well Diging
20	कुआं से सिल्ट हटाने / गोताखोर / सबमर्सिबल लगाने का कार्य।	Well Silt removing/diving
21	कृषि मजदूर	Agriculture labourer
22	कॉल सेंटर	Call Centre
23	खाद्य प्रसंस्करण (अचार, मुरब्बा; पापड़ आदि)	Food Processing
24	खिड़की, ग्रिल, दरवाजे आदि को ठीक करना और बदलना	Fixing and moduling of Window, Grill, Doors etc.
25	खुदरा क्षेत्र	Retail Sector
26	खेल का सामान बनाने एवं प्रशिक्षण सम्बन्धित कार्य।	Sports Industry/Coach
27	गैस चूल्हा / प्रेशर कूकर / सिलाई मशीन रिपेयर	Gas Stove/Pressure Cooker/ Sewing Machine Repair
28	घरों / भवन की आंतरिक सजावट	Interior Decoration of Houses/ Building
29	चूना बनाना	Lime making

30	जनरेटर रिपेयर	Generator Repair
31	टाइल्स लगाने का कार्य।	Tiles Fixing
32	टीचर/ट्यूटर	Teacher/Tutor
33	टीवी/रेडियो मैकेनिक	TV/Radio Repairs
34	टेलर/सिलाई और कढ़ाई	Tailor/Stiching/ Embroidery
35	डाटा एंटी आपरेटर	Data Entry Operator
36	डिलीवरी ब्वाय/कूरियर सेवा	Delivery Boy/Courior Service
37	ड्राइवर	Driver
38	दवाइयों की फैक्ट्री/इंडस्ट्री	Pharmaceutical Industry
39	नर्स/वार्ड ब्वाय	Nurse/Ward Boy
40	निर्माण व कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों से भिन्न मजदूर	Labourer other than Construction and Factory works
41	निर्माण स्थलों पर सुरक्षा गार्ड।	Guarding For providing Security at Construction sites
42	नौकरानी/घरो में साफ–सफाई एवं बर्तन साफ करने का कार्य।	Maid/Housekeeping
43	पत्थर/मार्बल खुदाई का कार्य।	Stone Quarries Work or Mining
44	पर्यटन और आतिथ्य सत्कार	Tourism & Hospitality
45	पेन्टर/पुताई/पी.ओ.पी. का कार्य	Painter/Painting/POP work
46	पैकर्स एंड मूवर्स	Packers & movers
47	पैरामेडिकल स्टाफ	Paramedical Staff
48	प्लम्बर	Plumber/Plumbing
49	फिटनेस/जिम प्रशिक्षक	Fitness/Gym Trainer
50	फिटर	Fitter
51	फुटपाथ अथवा पार्कों का निर्माण	Construction of Community parks or foothpath
52	–फोटोग्राफर/वीडियोग्राफर	Photographer/Videographer
53	बड़े यांत्रिक कार्य जैसे मशीनरी, पुल कार्य आदि	Large mechanical works like Machinery, Bridges works etc.
54	बढ़ई	Carpentery
55	बाढ़ प्रबंधन या अन्य प्रकार के अन्य कार्यों से संबंधित सभी कार्य	All the works related to Flood management or same types of other work
56	बालू, मौरंग की भराई, ढुलाई का कार्य।	Extraction of Sand Soil or Core Sand
57	बैंकिंग/बीमा सेक्टर	Banking/Insurance Sector
58	ब्यूटीशियन/नाई/सैलून/मेहंदी लगाने वाले	Beautician/Barber/Saloon/Mehndi Art
59	भवन निर्माण, बांध, पुल, सड़क या अन्य निर्माण कार्य।	Construction of Dams, Bridges, Roads or any operations under building construction.
60	माइक्रोवेव/मिक्सर ग्राइंडर रिपेयर	Microwave/Mixer Grinder Repair
61	मार्बल/पत्थर का काम	Marble/Stone Work
62	माली	Gardener
63	मिक्सर मशीन चलाना	Mixer Operation
64	मिट्टी से सम्बन्धित कार्य।	Earth Work
65	मोची/जूता बनाने का काम	Shoe Repair
66	मोजेक/मार्बल की घिसाई का कार्य।	Mosaic Polishing

67	म्यूजिक टीचर	Music Teacher
68	योग प्रशिक्षक	Yoga Trainer
69	रसोइया (खाना बनाने वाला)	Cook
70	राज मिस्त्री/राजगीर	Masonary (Rajgiri)
71	रेहड़ी/ठेला/सब्जी वाला/पटरी दुकानदार/रिक्शा चलाने वाला।	Rehadi/Thela wala/Sabzi Wala/Patri Vendor/Rickshaw Puller
72	रोलर ड्राइविंग	Roller Driving
73	लाण्ड्री/धोबी/प्रेस वाला/ड्राइक्लीनिंग सेवाएं	Laundry/Drycleaning Services
74	लिपिक/लेखा (किसी भी निर्माण (स्थापना) के लिए लिपिक और लेखाकार के रूप में सभी प्रकार के कार्यकर्ता	Clerical/ Accountancy (All types of workers as clerk and accountant for any construction (establishment)
75	लिफ्ट और एस्केलेटर फिक्सिंग	Lift and Escalators fixing
76	लैब टेक्नीशियन	Lab Technician
77	लोहार	Blacksmith
78	वित्तीय सलाहकार	Financial Adviser
79	विल्डिंग का कार्य।	Welding/Fabrication
80	सड़क निर्माण कार्य	Road work
81	सभी प्रकार के निर्माण मजदूर	Construction Labourer
82	सभी प्रकार के पत्थर काटने के लिए ग्राइंडिंग का कार्य	All types of stone cutting breaking for grinding Works (Mining)
83	सरिया बांधना/शटरिंग/छत ढलाई का कार्य	Roofing
84	सिक्योरिटी गार्ड (निर्माण कार्यों से भिन्न)	Security Guard (other than Construction works)
85	सीमेंट कंक्रीट, ईंटों आदि की ढुलाई का कार्य।	Works related to carry cement concrete, bricks etc.
86	सुरंग निर्माण	Tunnel Work
87	सुरक्षा गेट या अन्य मशीनरी को ठीक करना	Fixing Security gates or other Machineries
88	सेल्स एण्ड मार्केटिंग	Sales & Marketing
89	स्प्रे कार्य या मिश्रण कार्य (सड़क निर्माण में लगे)	Spray Work or Mixing work (engaged in road construction)
90	स्विमिंग पूल का निर्माण, गोल्फ कोर्स सहित अन्य मनोरंजन सुविधाओं का निर्माण कार्य।	Construction of Swimming pool, Golf course including any other recreational amenities
91	हथौड़ा चलाना/गट्टी बनाना।	Hammering
92	हैण्डीक्राफ्ट/कालीन/बुनकर	Handicrafts/Carpets/Weaver
93	अकुशल मजदूर	Unskilled worker
94	उपरोक्त के अतिरिक्त	Other